



सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-03.03.2021 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- डॉ संजीव कुमार, स०वि०स०
श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स०
श्री लखेंद्र कुमार रौशन, स०वि०स०
श्री प्रणव कुमार, स०वि०स०
श्री पवन कुमार यादव, स०वि०स०
श्री बीरेन्द्र कुमार, स०वि०स०
श्री जय प्रकाश यादव, स०वि०स०
श्री मुरारी मोहन झा, स०वि०स०
श्री मेवालाल चौधरी, स०वि०स०
श्री पंकज कुमार मिश्र, स०वि०स०
श्री कृष्णमुरारी शरण उर्फ
प्रेम मुखिया, स०वि०स०
श्री ललित नारायण मंडल, स०वि०स०
श्री देवेश कान्त सिंह, स०वि०स०
श्री सिद्धार्थ पटेल, स०वि०स०
श्री मनोज यादव, स०वि०स०

“बिहार सरकार ने पिछले 6 वर्षों से टोपो लैंड की बंदोबस्ती और खरीद-बिक्री पर रोक लगा रखी है, जिस कारण गैरमजरूरी जमीन का रसीद नहीं काटा जा रहा है। जो किसान या उनके पूर्वज 70 साल से उक्त जमीन पर निवास और खेती कर रहे हैं और सरकार द्वारा निर्धारित लगान दे रहे थे उन किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में बिहार के पटना, सारण, लखीसराय, समस्तीपुर, वैशाली, बेरूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, नालंदा, गोपालगंज, बक्सर, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण जिला में टोपो लैंड अवस्थित है।

अतः लाखों किसानों के हित के लिए पूर्व की भाँति जिन किसानों के पास जमीन का रसीद है उनके लिए सरकार द्वारा लगान निर्धारित करने तथा टोपो लैंड की बंदोबस्ती एवं खरीद-बिक्री पुनः आरंभ करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।”

राजस्व
एवं भूमि
सुधार

२. श्री कुंदन कुमार,
स०वि०स०
श्री सुर्यकान्त पासवान,
स०वि०स०
श्री राज कुमार सिंह,
स०वि०स०
श्री राम रतन सिंह,
स०वि०स०
श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन,
स०वि०स०
श्री राजवंशी महतो,
स०वि०स०

“सरकार पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प है। पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके कारकों को सुरक्षित रखा जाना है, जिसमें झील, वन्य प्राणी, पक्षी आदि हैं। इसी तरह की एक विश्व प्रसिद्ध झील बेगूसराय जिले में है। बिहार सरकार के बन विभाग द्वारा इसे 1989 में पक्षी विहार का दर्जा दिया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 63 वर्ग किलोमीटर विस्तार लिये हुए है। यहाँ लाखों प्रवासी पक्षी प्रतिवर्ष आते हैं। भू-जल स्तर नीचे जाने के कारण यह झील जल संकट से जूझ रही है। बिहार के बेहतरीन पर्यटक स्थलों में इसका शुभार हो सकता है परन्तु पर्यटकीय विकास नहीं हो सकने के कारण यह उपेक्षित पड़ा हुआ है। पाल वंश में स्थापित एक मंदिर भी इस झील के निकट ही जयमंगलगढ़ के नाम से विख्यात है। इस काबर झील और जयमंगलगढ़ को विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे यह पर्यटन की दृष्टिकोण से विश्व के मानचित्र पर स्थापित होगा।

अतः विश्व प्रसिद्ध काबर झील एवं जयमंगलगढ़ को पर्यटकीय दृष्टिकोण से विकसित किये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं।”

राज कुमार सिंह
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-०८/२०२१- ४७२ / विंस०, पटना, दिनांक- ०२ मार्च, 2021 ई०।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा पर्यटन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

१२/३/२१
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-०८/२०२१- ४७२ / विंस०, पटना, दिनांक- ०२ मार्च, 2021 ई०।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप सचिव एवं प्रधान आप सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

१२/३/२१
(पांडव कुमार सिंह)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।
19/03/2021
2/3/21